



खाद्य असुरक्षा की स्थिति 2022

प्रलिस के लिये:

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2022, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फूड फोर्टफिकेशन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

मेन्स के लिये:

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI), भारत में भुखमरी और कुपोषण के लिये ज़िम्मेदार कारक, भुखमरी से निपटने के लिये हालिया सरकारी पहल।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी इतनी बिकट बनी हुई है कि **संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** ने 2022 को 'अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष (The year of Unprecedented Hunger)' कहा है।

- **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार, वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 307 करोड़ लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सके। भारत इस वैश्विक आबादी का लगभग एक-तहई हिस्सा है।

वभिन्न रिपोर्टों के मुख्य अंश:

- **विश्व खाद्य कार्यक्रम:**
 - **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई है और लगभग 828 मिलियन लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं।
 - खाद्य सुरक्षा ने विशेष रूप से युद्धग्रस्त स्थानों और जलवायु आपदाओं से बर्बाद हुए स्थानों में पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर लिया है।
- **फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर:**
 - खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) की नई रिपोर्ट, **दफ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर - ड्राइवरस और ट्रैजिडिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन** के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व को नरितर **खाद्य असुरक्षा** की समस्या का सामना करना पड़ेगा।
 - यदि कृषि खाद्य प्रणाली समान बनी रहती है तो भविष्य में विश्व लगातार खाद्य असुरक्षा, घटते संसाधनों और अस्थिर आर्थिक विकास का सामना करेगा।
 - कृषि खाद्य लक्ष्यों सहित **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को पूरा करने के लिये विश्व "ऑफ ट्रैक" है।
 - वर्ष 2050 तक विश्व में 10 बिलियन लोगों के लिये भोजन की आवश्यकता होगी तथा यदि वर्तमान रुझानों को बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए तो यह एक अभूतपूर्व चुनौती होगी।
- **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI):**
 - **वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2022** में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
 - दक्षिण एशियाई देशों में भारत (107), श्रीलंका (64), नेपाल (81), बांग्लादेश (84) तथा पाकिस्तान (99) भी अच्छी स्थिति में नहीं है।
 - विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ प्रगत काफी हद तक स्थिर रही है, वर्ष 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। **हालाँकि वर्ष 2022 का GHI स्कोर अभी भी 'मध्यम' है।**
- **FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI):**
 - राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमलिनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हैं।
 - तमलिनाडु ने 100 के पैमाने पर कुल 82.5 अंक हासिल किये। मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढाँचा तथा नगिरानी, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण व उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
 - **केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में जम्मू-कश्मीर** 68.5 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय राजधानी से बेहतर प्रदर्शन करते हुए सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (66) और चंडीगढ़ (58) का स्थान है।
- **वास्तविक रिपोर्ट:**
 - खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिये भारत के उपकरण **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TDPS)** के तहत 90 मिलियन से अधिक

पात्र लोगों को कानूनी अधिकारों से बाहर रखा गया है।

- भारत की जनगणना 2011 योजना द्वारा कवर किये जाने वाले लोगों की संख्या पर पहुँचने के लिये डेटा का स्रोत बनी हुई है। परिणामस्वरूप बाद के वर्षों में आबादी के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार देखा गया है।
- कानूनी ढाँचे में इस अंतरनिमित्त भ्रान्ति के कारण कम-से-कम 12% आबादी कानूनी अधिकारों से बाहर हो गई।

वभिन्न रिपोर्टों द्वारा दिये गए सुझाव:

- **प्रणालीगत नीति परिवर्तन:**
 - प्रणालीगत नीतिगत परिवर्तन द्वारा लोगों की स्थिति को सुधारने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य 'ज़ीरो हंगर' के सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिये वैश्विक टोस प्रयास आवश्यक हैं।
- **सतत कृषि प्रणाली:**
 - जनसंख्या के तेज़ी से विकास के साथ ही भोजन की मांग भी बढ़ी है।
 - इससे निपटने के लिये कृषि प्रणालियों को भविष्य में स्थायी तरीके से और अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी।
- **कीड़ों की जनसंख्या में गिरावट:**
 - कीट परागणकर्त्ताओं की बहुतायत के बिना मनुष्यों को बड़े पैमाने पर भोजन और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
 - कीट अपनी विविधता, कृषि, मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर पारस्थितिक भूमिका के प्रभाव के कारण महत्त्वपूर्ण हैं।
 - वे सभी स्थलीय पारस्थितिक तंत्रों के लिये जैविक आधार बनाते हैं, वे पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं, पौधों को परागण करते हैं, बीजों को फैलाते हैं, मट्टि की संरचना और उर्वरता को बनाए रखते हैं, अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं तथा अन्य जीवों के लिये एक प्रमुख खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं।
- **अल्पावधि आवश्यकताओं से परे सोचें:**
 - नरिण्य लेने वालों को अल्पकालिक ज़रूरतों से परे सोचने की ज़रूरत है। दूर-दृष्टि की कमी, अलग-अलग दृष्टिकोण और त्वरति सुधार सभी के लिये घातक साबित हो सकते हैं।
 - प्रक्रियाओं को तत्काल बदलने की आवश्यकता है ताकि कृषि खाद्य प्रणालियों के लिये अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाया जा सके।
- **वभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से पोषण:**
 - बेहतर पोषण में भोजन के साथ-साथ स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, लिंग संबंधी दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड शामिल हैं। अतः पोषण संबंधी अंतर को भरने के लिये व्यापक नीति को लाने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक अंकेक्षण क्रियावधि की आवश्यकता:**
 - राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनिवार्य रूप से स्थानीय अधिकारियों की मदद से हर ज़िले में मध्याह्न भोजन योजना का सोशल ऑडिट करना चाहिये और साथ ही पोषण संबंधी जागरूकता पर काम करना चाहिये।
 - कार्यक्रम की निगरानी में सुधार के लिये [सूचना प्रौद्योगिकी](#) के उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है।
- **PDS को फरि से उन्मुख करना:**
 - इसे और अधिक पारदर्शी व भरोसेमंद बनाने तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिये निम्न सामाजिक-आर्थिक लोगों की क्रय शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के हेतु पुनः एक उन्नत [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#) की आवश्यकता है।
- **महिलाओं के नेतृत्व में SDG मशिन:**
 - मौजूदा पोषण कार्यक्रमों को फरि से डिज़ाइन करने और इसे [महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों](#) के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे भारत वर्ष 2030 तक भुखमरी और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के [सतत विकास लक्ष्य-2](#) को साकार कर सके।
- **अपशष्टि कम करना, भूख कम करना:**
 - भारत अपने कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7% और फलों और सब्जियों का लगभग 30% अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं एवं कोल्ड स्टोरेज के कारण बर्बाद कर देता है।
 - [इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफरिजेशन](#) के अनुसार, यदि विकासशील देशों में विकसित देशों के समान स्तर का रेफरिजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो वे 200 मिलियन टन भोजन या अपनी खाद्य आपूर्तिको लगभग 14% बचा सकते थे, जो भूख और कुपोषण से निपटने में मदद कर सकता है।

भूख/कुपोषण उन्मूलन के लिये भारत की पहलें:

- [ईट राइट इंडिया मूवमेंट](#)
- [पोषण अभियान](#)
- [प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना](#)
- [फूड फोरटफिकेशन](#)
- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013](#)
- [मशिन इंटरधनुष](#)
- [एकीकृत बाल विकास सेवा \(आईसीडीएस\) योजना](#)
- [आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन](#)
- [भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाएँ।](#)

- अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनन्य योजना (PMGKAY)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कथि गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सडिी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे अधिक उमर वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कथि जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखयिा होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छह महीने बाद तक प्रतिदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- सार्वजनिक वतिरण प्रणाली और लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को स्थापति कथि गया है। 5 जुलाई, 2013 को अधिनियमति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को कल्याण से अधिकारि आधारति दृष्टिकोण में बदलाव को चहिनति कथि।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की मुख्य वशिषताएँ:
- 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को TPDS के तहत प्रतिमिह 5 कलिगग्राम प्रतिव्यक्ति की समान पात्रता के साथ कवर कथि जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) तथा मध्याहन भोजन (MDM) योजनाओं के तहत नरिधारति पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष तक के कुपोषति बच्चों के लयि उच्च पोषण मानदंड नरिधारति कथि गए हैं।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ भी कम-से-कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ पाने की हकदार होंगी।
- NFSA के कार्यानवयन से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड जारी कथि जाते थे जैसे कि गरीबी रेखा से ऊपर (APL), गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड अलग-अलग रंगों के होते हैं। NFSA, 2013 के अनुसार, APL और BPL समूहों को दो श्रेणियों में फरि से वर्गीकृत कथि गया है - गैर-प्राथमकतिता और प्राथमकतिता। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को घर की मुखयिा होना चाहयि अतः कथन 2 सही है।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ 600 कैलोरी ऊर्जा तथा प्रतिदिनि 18-20 ग्राम प्रोटीन के पूरक आहार के रूप में माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड और/या एनर्जी डेंस फूड के रूप में राशन प्राप्त करने की हकदार हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

अतः वकिलप (b) सही है।

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के साथ मूल्य सब्सडिी के प्रतिस्थापन से भारत में सब्सडिी का परदृश्य कैसे बदल सकता है? वचिर-वमिर्श कीजयि। (मुख्य परीक्षा, 2015)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में कसि प्रकार सहायता की है? (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (PDS) की प्रमुख चुनौतयिँ क्या हैं? इसे प्रभावी और पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है? (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

